प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2009-10 से 2012-13 के दौरान सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख (इओयू) योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित है।

इस प्रतिवेदन में वह मामले उल्लिखित है जो 2014-15 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए थे।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई हैं।

लेखापरीक्षा वाणिज्यक एवं उद्योग मंत्रालय (डीओसी) और राजस्व विभाग (डीओआर) और इसकी क्षेत्री संरचनाओं से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर प्राप्त किए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करना चाहती हैं।